अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1012(अ).—चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.468(अ) तारीख 3 अगस्त, 2016 को, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 अगस्त, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ञ क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) संशोधन नियम, 2016 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. चाय बोर्ड (क्षति अपलेखन) नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

   (i) नियम 2 में,-

      (क) खंड (ङ) में, "मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक", शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (छ) में "अध्यक्ष" शब्द का लोप किया जाएगा ।

3. मूल नियम के नियम 5 के, उपनियम (2) में, "मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक" शब्दों के स्थान पर, "कार्यपालक निदेशक" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल नियम के नियम 4 और नियम 6 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल नियम के नियम 8 में "अध्यक्ष" शब्द, जहां–जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियम में, "अनुसूची " के स्थान पर, निम्न अनुसूची रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची

क.सं.	हानि की प्रकृति	प्राधिकारी	धनीय सीमा जिस तक प्रत्येक मामले में हानि बट्टे खाते जा सकेगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समान या धन की, जिसमें स्टाम्प और पुस्तकालय की पुस्तक भी है, अवसूलीय हानियाँ	बोर्ड समितियां (कार्यकारी, निर्यात संवर्धन समिति, विकास समिति, श्रम कल्याण समिति) उपाध्यक्ष सचिव	5,000 रु० 2,500 रु० 1,000 रु० 200 रु० @
2.	अवसूलीय ऋण या अग्रिम	बोर्ड समितियां (कार्यकारी, निर्यात संवर्धन समिति, विकास समिति) उपाध्यक्ष सचिव	5,000 रु० 2,500 रु० 1,000 रु० 200 रु० @
3.	मोटर यानों को अनुपयोगी घोषित किया जाना	बोर्ड	(वर्षों में) जो भी बाद में हो, वह निम्नानुसार नियत की गई है।

यान का प्रकार	किलोमीटर	वर्ष
18 अ.श.(आर.ए.सी.) से न्यून से फिट किए गए मोटर यान	1,50,000	8

4.	अन्य धनीय हानियाँ	उपाध्यक्ष	1,000 रु०* बोर्ड के निवास स्थानों की बाबत, अवसूलीय भाटक नुकसान की दशा में (जिसमें फ़र्निचर भाड़ा–प्रभार या सेवा प्रभार भी है)

@ चाय अधिनियम, 1954 के नियम 36 के अनुसार।

*चाय बोर्ड उपविधि, 1955 की उपविधि 52 के अनुसार।"।

[फा. सं. टी-12012/1/2016-बागान (क)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में, भारत सरकार, अधिसूचना सं.सा. का. नि. 364(अ), तारीख 14 अगस्त, 1996 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 606(अ), तारीख 13 जुलाई, 2000 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

G.S.R. 1012(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Tea Board (Write off Losses) Rules, 1996 were published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), in the Gazette of India *vide* notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R.468(E) dated the 3rd August, 2016, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And Whereas the copies of the said Gazette was made available to the public on the 5th August, 2016;

And Whereas no objections or suggestions were received from the public by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ja) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Tea Board (Write off Losses) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board (Write off Losses) Rules, 1996 (hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) in rule 2,-

(a) in clause (e), for the words "Chief Regional Executive", the words "Executive Director" shall be substituted;

(b) in clause (g), the word "Chairman", shall be omitted.

. In the principal rules, in rule 5, in sub-rule (2), for the words "Chief Regional Executive", the words "Executive Director" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 4 and rule 6, for the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Deputy Chairman" shall be substituted.

5. *In the principal rules, in rule 8, the word "Chairman" wherever it occurs, shall be omitted.*

6. In the principal rules, for the "Schedule", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Sl. No.	Nature of Loss	Authority	Monetary Limit upto which the loss may be written off in each case	
1.	Irrecoverable Losses of Stores or money including Stamps and Library Books	Board	Rs.5,000/-	@
		Committees (Executive, Export Promotion Committee, Development Committee, Labour Welfare Committee)	Rs.2,500/-	*
		Dy. Chairman	Rs.1,000/-	*
		Secretary	Rs.200/-	*
2.	Irrecoverable loans or advances	Board	Rs.5,000/-	@
		Committees (Executive, Export Promotion Committee, Development Committee, Labour Welfare Committee)	Rs.2,500/-	*
		Dy. Chairman	Rs.1,000/-	*
		Secretary	Rs.200/-	*
3.	Condemnation of Motor Vehicles	Board	(in years) whichever is reached later, have been fixed as under:	

Type of Vehicle	Kms.	Years
Motor Vehicles fitted with less than 18 hp (RAC)	1,50,000	8

4.	Other Monetary Losses	Dy. Chairman	Rs.1,000/-* In case of irrecoverable rent damages (including furniture hire charges and service charges) in respect of Board's residential accommodations.

@ As per Tea Rule 36 of Tea Rules, 1954

* As per Tea Board Bye Laws 52 of Tea Board Bye Laws, 1955.".

[F. No. T-12012/1/2016-Plant (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 364 (E), dated the 14th August, 1996 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 606(E), dated 13th July, 2000.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.29 11:12:43 +05'30'